झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/931/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **मयुराक्षी जलाशय योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु रू० 69.7718 करोड़ (रूपये उन्हत्तर करोड़ सत्तहतर लाख अठारह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन दुमका जिला अंतर्गत मयुराक्षी जलाशय योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु रू० 69.7718 करोड़ (रूपये उन्हत्तर करोड़ सत्तहतर लाख अठारह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. मयुराक्षी बांया तट नहर योजना के CADWM कार्य को भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय (Ministry of WR, RD & GR) के CADWM कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है जो जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक– N.19011/5/2015-CADWM दिनांक 08.09.2015 द्वारा संसूचित है। इसमें मयुराक्षी CADWM की राशि रू० 3953.04 लाख है।

4. मयुराक्षी बांया तट नहर योजना के CADWM कार्य को वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ कर वर्ष 2017–18 में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

5. राज्य सरकार के वर्ष 2015–16 के लिये स्वीकृत बजट उपबंध में मयुराक्षी कमाण्ड क्षेत्र विकास (CAD) कार्य हेतु रू० 100.00 लाख की राशि का प्रावधान राज्यांश के रूप में निम्नवत् है :–

(i) शीर्ष – 49P 270500789010543 में रू० 50.00 लाख एवं

(ii) शीर्ष – 49P 270500101010543 में रू० 50.00 लाख

इसी के अन्तर्गत यह कार्य वर्ष 2015–16 में प्रारम्भ किया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन CADWM (Command Area Development & Water Management) के लिये जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2013 में निर्गत Guidelines के अनुसार कराया जायेगा। जिसके अनुसार योजना के CADWM कार्य हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में व्यय का वहन किया जायेगा।

7. योजना के CADWM कार्य हेतु केन्द्रीय सहायता की राशि प्राक्कलित राशि की सीमा तक ही समय–समय पर भारत सरकार के लागू नियमों के अनुरूप देय होगा। प्राक्कलित राशि के अतिरिक्त व्यय (Additional expenditure) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

8. योजना के CADWM कार्य हेतु केन्द्रीय सहायता की राशि केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत निर्गत किया जायेगा। इसके लिये PMKSY के नियम (Guideline) लागू होंगे।

9. वैधानिक Water User Association (WUAs) के गठन के पश्चात् ही CADWM कार्य का क्रियान्वयन होगा।

10. इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

11. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य निहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. इस योजना पर होने वाला व्यय

(i) ''मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष – 2705 – कमान क्षेत्र विकास, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–01–मयुराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश–50 : राज्यांश–50), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)'',

(ii) ''मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष – 2705 – कमान क्षेत्र विकास, लघु शीर्ष–101–मयुराक्षी कमान क्षेत्र विकास, उप शीर्ष–01–मयुराक्षी जलाशय योजना (केन्द्रांश–50 : राज्यांश–50), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)''

(iii) ''मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष – 4700 – मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष – 80 – सामान्य, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, योजना, उप शीर्ष – 12 – ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 – मुख्य निर्माण कार्य'' एवं

(iv) ''मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष – 4700 – मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष – 80 – सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उप शीर्ष – 12 – ए०आई०बी०पी० एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 – मुख्य निर्माण कार्य''के अधीन विकलनीय होगा।

13. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. कार्य के लिये राशि की निकासी दुमका कोषागार, दुमका से की जायेगी।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/931/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/931/2015– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दुमका कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/931/2015– 68/15-16 प्र.ई. /राँची, दिनांक 18.03.2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, दुमका/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)